

# फाइनल डिगरी व मुकदमें इबतदाई

(आ. 20 रूल 67 जाफ़ा दिवानी)

प्रतापगढ़

आज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

प्रतापगढ़

व इजलास ओमप्रकाश बिश्नोई (आर.ए.एस.)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

1. श्री राधेश्याम पिता गिरजाशंकर जी जाती ब्राम्हण निवासी देवद तहसील व जिला प्रतापगढ़ राज.।

—वादी

—बनाम—

- श्रीमती सबरजान पति बाबरखान पठान जाती मुसलमान निवासी हतुनिया तहसील व जिला प्रतापगढ़ राज.।
- श्री मान् तहसीलदार प्रतापगढ़।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,R.T.ACT

मुकदमा नं. 58/07

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू..... व हाजरी वादी वकील श्री मनीष शर्मा व प्रतिवादी कमांक 1 आर.सी.मालवीय व 2 की तरफ से पेशोकार सरकार मनजानिब मुदई व..... मिनजानिब मुदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:-

मौजा देवद पटवार हल्का घोटारसी की आराजी नम्बर 687 मी. रकबा 0.35 कुल किता 1 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि, मौजा हथुनिया की आराजी नम्बर क्रमशः 693/1, 694/1, 695 रकबा क्रमशः 1.05, 0.05, 0.05 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अलग से दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर बैंक रहन बदस्तूर रहेंगा। व मौजा देवद पटवार हल्का घोटारसी की आराजी नम्बर क्रमशः 681, 687/1, 680/1130 रकबा क्रमशः 0.25, 0.03, 0.07 कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर, मौजा हथुनिया की आराजी नम्बर क्रमशः 692, 693 मी. 694 मी. रकबा क्रमशः 0.21, 0.84, 0.11 कुल किता 3 कुल रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे। उक्त भूमि पक्षकारान की बीच राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है।

नीज..... मुबनीग..... बाबत्..... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक..... का अदा करें। बसक्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आद तारीख 12.5.11 को जारी की गई।

नोट: केंद्र वकालत निपसी के रेखा।

उपखण्ड अधिकारी  
प्रतापगढ़ (सं. 3)

मुहर मुदई	उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़	रूपया	पैसे	मुदायल	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा				स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा				स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत				महनताना वकील		
महनताना वकील				खर्चा गवाह		
खर्चा गवाह				फीस कमिश्नर		
फीस कमि नर				बाबत् इजराय हुक्म नामा		
बाबत् इजराय हुक्म नामा				मुतफरिक		
मुतफरिक						

# फाइनल डिगरी व मुकदमें इबतदाई

(आ. 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

प्रतापगढ़

आज अदालत  
व इजलास.

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

प्रतापगढ़

ओमप्रकाश बिश्नोई (आर.ए.एस.)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

1. श्री राधेश्याम पिता गिरजाशंकर जी जाती ब्राम्हण निवासी देवद तहसील व  
जिला प्रतापगढ़ राज.।

—वादी

—बनाम—

- श्रीमती सबरजान पति बाबरखान पठान जाती मुसलमान निवासी हतुनिया  
तहसील व जिला प्रतापगढ़ राज.।
- श्री मान् तहसीलदार प्रतापगढ़।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,R.T.ACT

मुकदमा नं. 58/07

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू..... व  
हाजरी वादी वकील श्री मनीष शर्मा व प्रतिवादी कमांक 1 आर.सी.मालवीय व 2 की तरफ  
से पेशोकार सरकार .मनजानिब मुदई व.....मिनजानिब  
मुदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:-

मौजा देवद पटवार हल्का घोटारसी की आराजी नम्बर 687 मी. रकबा 0.35 कुल किता 1  
कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि, मौजा हथुनिया की आराजी नम्बर कमशः 693/1, 694/1, 695  
रकबा कमशः 1.05, 0.05, 0.05 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम राजस्व  
रिकॉर्ड में अलग से दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर  
बैक रहन बदस्तूर रहेंगा। व मौजा देवद पटवार हल्का घोटारसी की आराजी नम्बर कमशः 681,  
687/1, 680/1130 रकबा कमशः 0.25, 0.03, 0.07 कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर,  
मौजा हथुनिया की आराजी नम्बर कमशः 692, 693 मी. 694 मी. रकबा कमशः 0.21, 0.84, 0.11  
कुल किता 3 कुल रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे। उक्त  
भूमि पक्षकारान की बीच राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार प्रतापगढ़ को  
निर्दिष्ट किया जाता है।

नीज.....मुबनीग.....बाबत्.....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर.....फीसदी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसुलयाबी तक .....का अदा करें।  
बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आद तारीख 12.11.14 को जारी की गई।

नोट: केंद्र का निपटारा  
रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
प्रतापगढ़ (सि.)

मुहर मुदई	उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़	रूपया	पैसे	मुदायल	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा				स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा				स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत				महनताना वकील		
महनताना वकील				खर्चा गवाह		
खर्चा गवाहान				फीस कमिश्नर		
फीस कमि नर				बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा				मुतफरिक		
मुतफरिक						

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)  
रीटालीन अधिकारी:-श्री. ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

क्रमांक -58/07

निर्णय दिनांक 12/5/14

श्री. सधेश्याम पिता गिरजाशंकर जी जाती ब्राम्हण निवासी देवद तहसील व जिला प्रतापगढ़ राज.

—वादी

—बनाम—

श्रीमती सबरजान पति बाबरखान पठान जाती मुसलमान निवासी हतुनिया तहसील व जिला प्रतापगढ़ राज.

श्री. मानू तहसीलदार प्रतापगढ़ ।

—प्रतिवादीगण

:-निर्णय:-

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,R.T.ACT

उपस्थिति :- 1. मनीष कुमार वादीगण ।

2. प्रतिवादीगण क्रमांक 1 आर.सी.मालवीय व 2 की तरफ से पेशोकार सरकार वकील प्रतिवादीगण ।

रीट का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट. धारा 7 के नियम 1 व 2 C.P.C. विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न कारणों से पेश हैं जिसमें कहा कि मौजा देवद प.ह. घोटारसी व गोंव हथुनिया प.ह. कुणी तह. में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त नाम पर व संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य की निम्न आराजीयात होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। जिस पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। गोंव देवद प.ह. घोटारसी, तह. प्रतापगढ़ में निम्न आराजियात स्थित

आ.नं.	रकबा	किस्म भूमि
681	0.25 हैक्टर	काली द्वितीया
687	0.38 हैक्टर	काली द्वितीया
680/1130	0.07 हैक्टर	काली द्वितीया
3	0.70 हैक्टर	

गोंव हथुनिया प.ह. कुणी, तह. प्रतापगढ़ में निम्न आराजियात स्थित हैं।

आ.नं.	रकबा	किस्म भूमि
692	0.21 हैक्टेयर	काली द्वितीया
693	1.89 हैक्टेयर	काली द्वितीया

रकबा 0.35 वादी के नाम व आराजी नम्बर कमशः 681, 687/1, 680/1130 रकबा कमशः 0.03, 0.07 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रकार मौजा हथूनिया की आराजी नम्बर कमशः 693/1, 694/1, 695 रकबा कमशः 0.05, 0.05 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम व आराजी नम्बर कमशः 692, 693 मी. 694मी. रकबा कमशः 0.21, 0.84, 0.11 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि का फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिस पर पुनः बहस सुनी गई। बहस में दोनों अधिवक्ताओं ने कोई एतराज नहीं किया। उक्त फर्द बंटवारे एवं पत्रावली पर राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार प्रतापगढ से प्राप्त फर्द बंटवारे अनुसार मौजा देवद पटवार हल्का घोटारसी की आराजी नम्बर कमशः 681, 687/1, 680/1130 रकबा कमशः 0.25, 0.03, 0.07 कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि, मौजा हथूनिया की आराजी नम्बर कमशः 693/1, 694/1, 695 रकबा कमशः 1.05, 0.05, 0.05 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अलग से दर्ज किया जाकर खाते पर पंजीकृत घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर बैंक रहन बदस्तूर रहेगा। व मौजा देवद पटवार हल्का घोटारसी की आराजी नम्बर कमशः 681, 687/1, 680/1130 रकबा कमशः 0.25, 0.03, 0.07 कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर, मौजा हथूनिया की आराजी नम्बर कमशः 692, 693 मी. 694 मी. रकबा कमशः 0.21, 0.84, 0.11 कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावें। उक्त भूमि पक्षकारान की राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार प्रतापगढ को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/14 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
प्रतापगढ (राज.)

नोट :- बैंक रहन बदस्तूर विपक्षी के रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
प्रतापगढ